कार्यलय जिला कलक्टर (सहायता) कोटा

दिनांक 15 अगस्त, 2015

आदेश

तहसीलदार दीपक नदीम से निम्न सारणी में अंकित आदेश, एवं दिनांक के समय दस्तावेज गये विवरण अनुसार दूल्हा कृष्ण के मित्र कृष्ण के मित्र कृष्ण को संचारांक दोस्त गई फसलों की जमा से 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.03.2015 के क्रम में कृष्ण को कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। उपर्युक्त स्वीकृति दूल्हा (Hail storm) से दिनांक 15.03.2015 को लगभग सीमात नक्का से मित्र कृष्ण को फसलों की 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा हुआ है, की Input Subsidy भारी प्राप्त की हुई है।

शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्ध एवं सहायता विभाग के पत्र क्रमांक एक 1(1)(4)आप्रृ एवं सहारा /सामयिक /2013/14191 दिनांक 17.12.2013 द्वारा प्राप्त भारत सरकार गृह मंत्रालय (Disaster Management Division) नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को जारी State Disaster Response Fund (SDRF) and National Disaster Response Fund (NDRF) के पुनरीक्षित मानदंडों एवं शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्ध एवं सहायता विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एक 1(1)(3)आप्रृ एवं सहारा /सामयिक /2015/1853-1903 दिनांक 18.3.2015 द्वारा जारी राहत पैकेज के अनुसार में सलन सूची के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकृति जारी की गई है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>नंबर</th>
<th>स्वीकृति आदेश संख्या</th>
<th>पटवारी मंडल का नाम</th>
<th>ग्राम का नाम</th>
<th>लघु, सीमात कृषि की संख्या</th>
<th>स्वीकृति कृषि अनुदान राशि</th>
<th>विद्यमान</th>
<th>विवरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>299-300 / 25-3-2015</td>
<td>अगपानी</td>
<td>अगपानी</td>
<td>218</td>
<td>1982000</td>
<td>विवरण</td>
<td>दूल्हा</td>
</tr>
</tbody>
</table>

शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्ध एवं सहायता विभाग के पत्र क्रमांक एक 1(1)(4)आप्रृ एवं सहारा /सामयिक /2013/14191 दिनांक 17.12.2013 द्वारा प्राप्त भारत सरकार गृह मंत्रालय (Disaster Management Division) नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को जारी State Disaster Response Fund (SDRF) and National Disaster Response Fund (NDRF) के पुनरीक्षित मानदंडों एवं शासन सचिव महोदय.
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर के प्रति क्रमांक एक 1(1)(3)आप्रवश्यक एवं सहायक/सामान्य/ आद्योत/2015/1853–1903 दिनांक 18.3.2015 द्वारा जारी राहत पैकेज के अनुसार भूमि के अनुसार आलोचना से तहसील पीपल्डा के 1536 तथा सीमात्त कृषकों से मिला कृषकों द्वारा बोई गई फसलों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक खराब होने के कारण काफी पूंजी 1,40,31,000/- (अधिकरण रूपये एक कौरण, चालीस लाख, इकतीस हजार ग्राम) कृषि आदान अनुदान के रूप में भुगतान करने की स्थिति की जाती है।
उल्लेखित राशि निम्न बजट मद से आहसरत की जाएगी।
मांग संख्या: 34
2245–प्राकृतिक विपरीत के कारण राहत
02- बाढ़ प्रकरण आदि
114–कृषि बागानों के कर्ज के लिए किसानों की सहायता
05–लघु सीमात्त कृषकों से मिला कृषकों का कृषि अनुदान
02- आलोचना
12– सहायतालिपि अनुदान (आयोजना मिलन)

जिला कलक्टर
कोटा

क्रमांक/सहायता/लघु/सीमात्त/2015/597

दिनांक28 मार्च, 2015

प्रतिलिपि निम्न को संचालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है–
1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर
2. संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा
3. कौशलदायी, कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी, पीपल्डा
5. तहसीलदार, पीपल्डा
6. प्रबन्ध निदेशक, दी कोटा सेंट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिट कोटा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार संलग्न सूची के अनुसार कृषकों के खातों में स्वीकृति राशि जमाकर पालना से इस कार्यलय को अवगत कराये।

जिला कलक्टर
कोटा